


संख्या:ग्रा०वि०-एफ(4)-2/2024

ग्रामीण विकास विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार



प्रेषित :

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त मंडलाधिकारी उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त खंड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला -171002

21<sup>st</sup> मार्च, 2025

विषय: प्रदेश में Below Poverty Line (बी०पी०एल०) परिवारों के चयन हेतु मानदंड बारे।

महोदय,

संदर्भित विषय में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश समसंख्यक दिनांक 19.03.2025 द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि इन निर्देशों की प्रारंभिक तिथि पहले ही बीत चुकी है। अतः, इन निर्देशों की समय-सीमा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं:-

1. 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इच्छुक परिवार जो बी०पी०एल० सूची में शामिल होना चाहते हैं, वह अपने आवेदन आवश्यक घोषणा-पत्र के साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. 15 अप्रैल तक उपमंडलाधिकारी (ना.) द्वारा त्रिसदस्यीय सत्यापन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे।
3. सत्यापन समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को वर्ष 2025 में 15 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि जुलाई माह में ग्राम सभा में मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके।
4. सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिमानतः इस वर्ष 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

अतः, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संशोधित समय-सीमा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(सरजीव कुमार),

दिनांक- 26-03-2025 उप सचिव (ग्रामीण विकास)

पृष्ठोंकन संख्या- 12593  
प्रतिलिपि:-

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ग्रा० वि०वि० हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या ग्रा० वि०-हिमाचल प्रदेश सरकार 21 मार्च, 2025 के अनुसार समस्त ग्राम पंचायत सचिवों को बी०पी०एल० परिवारों के चयन प्रक्रिया को संशोधित समस- सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आप निर्दिष्ट समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 बी०पी०एल० परिवारों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड अनुसार हेतु अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों से पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सूची इस कार्यालय को पांच दिनों के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Block Development Officer  
Solan Distt Solan(H.P.)

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्त


दिनांक

शिमला-2

21<sup>st</sup> मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, ग्रामीण विकास उनके पत्र संख्या एस.एम.जे-120/20/2012-13-(बड़.)0आर.डी. डी-IV दिनांक 20 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रचार व प्रसार हेतु।
5. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 09 जनवरी 2025 को मंत्रिमण्डल की बैठक में मद्द संख्या 40 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के सन्दर्भ में प्रेषित है।
6. संरक्षक नारित।

  
उप सचिव (ग्रामीण विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

\*\*\*\*\*



संख्या:ग्रा०वि०-एफ(4)-2/2024

ग्रामीण विकास विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित :

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त मंडलाधिकारी उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त खंड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला -171002

19<sup>th</sup> मार्च, 2025

विषय:

प्रदेश में Below Poverty Line (बी०पी०एल०) परिवारों के चयन हेतु मानदंड बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार पिछले कुछ समय से राज्य में बी०पी०एल० (Below Poverty Line) परिवारों के चयन हेतु वर्तमान में निर्धारित मानदंडों में विसंगतियों के मामले पर विचार कर रही थी। अतः अब राज्य सरकार द्वारा इस विभाग के पत्र संख्या :एस.एम.जे-6/2002/आर.डी.डी-751-62 दिनांक 29 जनवरी, 2007 के अधिक्रमण में बी०पी०एल० परिवारों के चयन/शामिल एवं हटाये जाने के मानदंडों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1 बी०पी०एल० सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की जाएगी :-

(क) चयन/शामिल करने हेतु मानदंड :-

- i). ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं व 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है।
- ii). ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो तथा जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। जिसमें विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी।
- iii). ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 50% से अधिक विकलांगता हों।
- iv). ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन काम किया हो।

v). ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

(ख) उपरोक्त केवल वह परिवार जो पृथक्करण (deprivation) मानदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं, बी०पी०एल० की सूची में शामिल होने के पात्र होंगे, जब तक कि वे बहिष्करण (exclusion) मानदंडों के कारण अयोग्य न हो जाएं।

(ग) ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक ऐसे सदस्य हों जो कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

(घ) एक से अधिक असुविधा वाले परिवारों को चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) उपरोक्त "चयन/शामिल करने हेतु मानदंड" को पूरा करने वाले वह परिवार अपात्र होंगे/हटाए जा सकेंगे, यदि वह मानदंडों के दायरे में आते हैं: —

i). ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है।

ii). ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो।

iii). ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय पचास हजार' (50,000/-) रुपये से अधिक हो।

iv). ऐसे परिवार जिनके पास एक (1) हेक्टेयर से अधिक भूमि हो।

v). ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में है।

(च) ग्राम पंचायत द्वारा बी०पी०एल० में शामिल किये जाने हेतु/पहले से शामिल प्रत्येक परिवार के मुखिया से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सादे कागज पर शपथ एवं घोषणा-पत्र प्राप्त किया जायेगा : —

i). मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है।

ii). मेरा परिवार आयकर नहीं देता है।

iii). मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित वार्षिक आय पचास हजार' (50,000/-) रुपये से अधिक नहीं है।

iv). मेरे परिवार के पास एक (1) हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है।

v). मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में नहीं है।



(छ) परिवारों द्वारा की जाने वाली सभी शपथ एवं घोषणाओं में सहायक साक्ष्य (Supporting evidence) शामिल होने चाहिए, जैसे परिवार रजिस्टर की प्रति, बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं आय का प्रमाण पत्र ।

(ज) यदि बी०पी०एल० परिवार का कोई सदस्य ग्राम पंचायत में अपना नाम अलग परिवार के रूप में दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है, तो उस स्थिति में ऐसे नए परिवार को अगले 3 वर्षों तक बी०पी०एल० सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध विधवा/परित्यक्त/अकेली/तलाकशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होगा।

2. बी०पी०एल० सूची में परिवारों की पहचान एवं चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

(क) बी०पी०एल० सूचियों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में निर्धारित ग्राम सभा बैठक में की जाएगी।

(ख) बी०पी०एल० सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में उपरोक्त आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं ।

(ग) संबंधित पंचायत सचिव स्वप्रेरणा (self motivation) से उन परिवारों की पहचान करेगा जो बी०पी०एल० के लिए प्रथम दृष्टया शामिल किए जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं तथा उनसे उपर्युक्त प्रासंगिक शपथ एवं घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा ।

(घ) संबंधित पंचायत सचिव द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित शपथ एवं घोषणा-पत्र बी०पी०एल० सूची में पहले से मौजूद परिवारों से भी लिया जाएगा ।

(ङ) प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) प्रत्येक पंचायत के संबंध में पंचायत सचिव, पटवारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तीन सदस्य सत्यापन समिति (Verification Committee) का गठन करेंगे ।

(च) खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि समितियों की अधिसूचना उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के कार्यालय से उनके विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संबंध में तय समय सीमा के भीतर जारी की जाए। सत्यापन समिति स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित की पात्रता का सत्यापन और जांच करेगी :-

i). जिन परिवारों ने समावेशन के लिए आवेदन किया है;

ii). जिन परिवारों की पहचान पंचायत सचिव द्वारा प्रथम दृष्टया समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले के रूप में की गई है; और

iii). जो परिवार पहले से ही बी०पी०एल० सूची में हैं, उनकी घोषणाओं, आधिकारिक अभिलेखों, समावेशन और बहिष्करण मानदंडों के संदर्भ में मौके पर सत्यापन को ध्यान में रखते हुए।

(छ) इसके बाद, सत्यापन समिति निम्नलिखित तैयार करेगी :-

i). चयन/ समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची, जो बहिष्करण मानदंडों के कारण अयोग्य नहीं हैं, जिसे बी०पी०एल० सूची में शामिल करने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा;

ii). मौजूदा बी०पी०एल० परिवारों की सूची जो समावेशन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या किसी बहिष्करण मानदंडों के कारण अयोग्य हैं, जिन्हें बी०पी०एल० सूची से हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। सत्यापन समिति द्वारा यह पूरी प्रक्रिया हर साल 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

(ज) सत्यापन समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में निर्धारित ग्राम सभा में मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके।

(झ) संबंधित पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी पंचायत समिति में उपलब्ध धन के अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी तथा उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा आयोजित होने से पहले यह व्यवस्था लागू हो जाए। यदि कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या होने की आशंका है तो संबंधित उपायुक्त/उपमंडलाधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(ञ) बी०पी०एल० परिवारों की सूची में समावेशन हेतु निर्णय ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा।

(ट) ग्राम सभा की संस्तुति के बाद, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में एक खंड स्तरीय समिति जिसमें खंड विकास अधिकारी और पंचायत



ii). जिन परिवारों की पहचान पंचायत सचिव द्वारा प्रथम दृष्टया समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले के रूप में की गई है; और

iii). जो परिवार पहले से ही बी०पी०एल० सूची में हैं, उनकी घोषणाओं, आधिकारिक अभिलेखों, समावेशन और बहिष्करण मानदंडों के संदर्भ में मौके पर सत्यापन को ध्यान में रखते हुए।

(छ) इसके बाद, सत्यापन समिति निम्नलिखित तैयार करेगी :-

i). चयन/ समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची, जो बहिष्करण मानदंडों के कारण अयोग्य नहीं हैं, जिसे बी०पी०एल० सूची में शामिल करने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा;

ii). मौजूदा बी०पी०एल० परिवारों की सूची जो समावेशन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या किसी बहिष्करण मानदंडों के कारण अयोग्य हैं, जिन्हें बी०पी०एल० सूची से हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। सत्यापन समिति द्वारा यह पूरी प्रक्रिया हर साल 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

(ज) सत्यापन समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में निर्धारित ग्राम सभा में मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके।

(झ) संबंधित पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी पंचायत समिति में उपलब्ध धन के अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी तथा उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा आयोजित होने से पहले यह व्यवस्था लागू हो जाए। यदि कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या होने की आशंका है तो संबंधित उपायुक्त/उपमंडलाधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता प्रदान कर सकते हैं।

(ञ) बी०पी०एल० परिवारों की सूची में समावेशन हेतु निर्णय ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा।

(ट) ग्राम सभा की संस्तुति के बाद, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में एक खंड स्तरीय समिति जिसमें खंड विकास अधिकारी और पंचायत

निरीक्षक/उप-पंचायत निरीक्षक (या दोनों पीआई/एसपीआई की अनुपस्थिति में, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित विकास खण्ड कार्यालय का कोई अन्य अधिकारी) शामिल होंगे, ग्राम सभा द्वारा की गई संस्तुति के 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की उचित जांच, सत्यापन समिति की रिपोर्ट और ऐसी अन्य स्थानीय जांच करने या ऐसे अन्य साक्ष्य लेने के बाद समावेशन (inclusion) और बहिष्करण (exclusion) को मंजूरी देंगे। खंड स्तरीय समिति अपनी जांच और जांच का लिखित रिकॉर्ड बनाए रखेगी। बी०पी०एल० सूची में समावेशन (inclusion) या बहिष्करण (exclusion) के बारे में ग्राम सभा की सिफारिशें स्वीकार्य होंगी, जब तक कि खंड स्तरीय समिति द्वारा लिखित रूप में सिफारिशों के विरुद्ध साक्ष्य दर्ज नहीं किए जाते।


- (उ) खण्ड स्तरीय समिति अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए संबंधित पंचायत सचिव को लिखित रूप में अपना निर्णय सूचित करेगी।
- (ड) खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित परिवारों को पंचायत सचिव द्वारा बी०पी०एल० सूची में शामिल किया जाएगा और खण्ड स्तरीय समिति से सूचना प्राप्त होने के दो (2) दिनों के भीतर उपयुक्त भौतिक/ ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा। जिन परिवारों को खण्ड स्तरीय समिति हटाने के लिए अनुमोदित करती है, उन्हें पंचायत सचिव द्वारा तुरंत बी०पी०एल० सूची से हटा दिया जाएगा और खण्ड स्तरीय समिति से सूचना प्राप्त होने के दो (2) दिनों के भीतर उपयुक्त लिखित/ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।
- (ढ) सम्पूर्ण प्रक्रिया अधिमानतः प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
- (ण) ग्राम पंचायत, खण्ड और जिले में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या की अधिकतम सीमा पहले से निर्धारित/मौजूदा अधिकतम सीमा के अनुसार ही रहेगी।
- (त) खण्ड स्तरीय समिति विधवा/एकल/तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम होगी।
- (थ) किसी विशेष वर्ष के लिए बी०पी०एल० समीक्षा के दौरान बनाए गए रिकॉर्ड को ग्राम पंचायत में अभ्यास पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा, जिसके बाद रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा। किसी भी लंबित अपील के मामले में, उस मामले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड को मामले के अंतिम निपटान तक बनाए रखा जाएगा।



### 3. अपील:


- क) खण्ड स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील निर्णय के 30 दिनों के भीतर संबंधित उपायुक्त के पास होगी। संबंधित उपायुक्त इस संबंध में आदेश जारी करके इन शक्तियों को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) या अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को सौंप सकते हैं।
- ख) उपायुक्त/एडीसी/एडीएम के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष की जा सकेगी।
- ग) 30 दिनों के बाद दायर अपीलें अपीलीय प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित रूप में कारण दर्ज कर अपील स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते कि देरी के लिए पर्याप्त कारण दर्शाते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि निर्धारित मानदंडों का पालन और अनुपालन के लिए अपने अधीन सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपालनार्थ आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

भवदीय,  
  
(राजेश शर्मा), भा०प्र०से०  
सचिव (ग्रामीण विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
19<sup>th</sup> मार्च, 2025

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्त दिनांक शिमला-2  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, ग्रामीण विकास उनके पत्र संख्या एस.एम.जे-120/20/2012-13-(बड़.)0आर.डी. डी-IV दिनांक 20 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रचार व प्रसार हेतु।
5. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 09 जनवरी 2025 को मंत्रिमण्डल की बैठक में मद् संख्या 40 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के सन्दर्भ में प्रेषित है।
6. संरक्षक नास्ति।

  
सचिव (ग्रामीण विकास)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

\*\*\*\*\*